भारतीय सर्वेक्षण विभाग ई-मेल
SURVEY OF INDIA

दूरभाष / Telephone : (079) 23240451, 23240452
फैक्स / FAX : (079) 23237518
वेवसाइट / Website : www.surveyofindia.gov.in
ई–मेल / E-mail :gdd.gdc.soi@gov.in

निदेशक का कार्यालय / OFFICE OF THE DIRECTOR
गुजरात, दमण एवं दीव भू–स्थानिक ऑकड़ा केन्द्र
GUJARAT, DAMAN & DIU GEO-SPATIAL DATA CENTRE
सर क्रीक भवन, सेक्टर–10–ए
Sir Creek Bhavan, Sector 10-A
पोस्ट बॉक्स नं0 1 / Post Box No. 01
गांधीनगर–382010(गुजरात) / Gandhinagar-382010(Gujarat)

संख्या / No. 1622/37-G-9

दिनांक / Date:– 31.10.2023

गुजरात, दमन एवं दीव भू. आं. के., गांधीनगर नेमी आदेश सं. 12 दिनांक. 31.10.2023

Gujarat, Daman and Diu GDC, Gandhinagar Routine Order No. 12 Dated 31.10.2023

(1) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) में परिवर्तित / Convert under Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 Now 2021) in place of National Pension System:-

भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत एवं पेशनभोगी मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशन कल्याण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं0 57/05/2021 पी एण्ड पी डब्ल्यू (बी) दिनांक 03-03-2023 के पैरा-4 के अनुसार 22-12-2003 से पूर्व भर्ती के लिए विज्ञापित / अधिसूचित पद रिक्ति के सापेक्ष भर्ती किए गये इस कार्यालय के निम्नलिखित कर्मचारी को (विकल्प पत्र के अनुसार) उनके सामने दर्शाई तिथि से राष्ट्रीय पेंशन योजना में केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1972 (अब 2021) में परिवर्तित किया जाता है / The following employee of this office are (As per their option Convert from National Pension System to Central Civil Services (Pension) Rule,1972 (Now 2021) from the date showing against their name as per para-4 of Govt. of India. Ministry of Personnel,Public Grievances & Pensions, Deptt. of Pension and Pensioners Welfare's O.M. No.57/05/2021-P&PW (B) dated 03-03-2023 who was appointed against the vacancy notified for the appointment before 22-12-2003.

क्र.सं.	नाम श्री/श्रीमती	पद (वर्तमान)	प्रारंभिक का पद नियुक्ति	प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि	रिक्ति का वर्ष Year of Vacancy	प्रारंभिक नियुक्ति कार्यालय/जी.डी.सी.
1	श्री घनश्याम राठौड	कार्यालय अधीक्षक	LDC	29/09/2004	2003	गुजरात दमन व दीव, भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र, गांधीनगर

2. सरकारी कर्मचारी द्वारा विकल्प का प्रयोग करने के आधार पर केन्द्रीय सिविल सेवा (पेशन) नियमावली, 1972 (अब 2021) के अधीन कवर करने से संबंधित मामले को इन निर्देशों के अनुसार उस पद जिसके लिए ऐसे विकल्प का प्रयोग किया गया है, के नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष रखा गया, तथा पाया गया कि संबंधित सरकारी नियमावली 1972 (अब 2021) के अधीन कवर किये जाने के लिए सभी शर्तों को पूरा करता है तो इन निर्देशों के अनुसार जायेगा। फलस्वरूप उक्त सरकारी कर्मचारी का एनपीएस खाता दिनांक 31 दिसम्बर 2023 से बंद कर दिया जायेगा।

3. ऐसे सरकारी कर्मचारी जो केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 (अब 2021) के अधीन पेंशन योजना में अंतरण करने के विकल्प का प्रयोग करते हैं, उन्हें सामान्य भविष्य निधि सदस्यता लेनी होगी। सरकारी कर्मचारी के एनपीएस खाते में कार्पस के लेखाकरण के संबंध में कार्रवाई लेखा महानियंत्रक (सी.जी.ए.) सं० 1 (7) (2)2010/ टीए 111/390 तथा दिनांक के आई ही नोट सं० TA-36/3/2020 - टी. ए. 111 / सी. एस -4303 / 450 में दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार की जायेगी।

प्राधिकार - महासर्वेक्षक कार्यालय के पत्र संख्या स्था. 3-238/1117-पेंशन दिनांक 06-07-2023

Aurhority:-SG's letter No. Estt. 3-238/1117-Policy (Pension) dated 06-07-2023

31-10-202

(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक

प्रतिलिपि:-

1. भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को सूचनार्थ।
2. अपर महासर्वेक्षक, पश्चिमी क्षेत्र, जयपुर व अन्य अपर महासर्वेक्षक कार्यालयों को सूचनार्थ।
3. सभी निदेशालय जी. डी. सी. कार्यालयों को सूचनार्थ प्रेषित।
4. वेबसाइट इंचार्ज, राष्ट्रीय भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र, देहरादून का विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
5. स्थापना एंव लेखाधिकारी, जी.डी.सी., गांधीनगर को सूचनार्थ।